


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2014 (आश्विन 5, 1936)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2014 (ASVINA 5, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2014

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.12/सीएमडी/2014

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः:

अनुच्छेद 12 का संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 12 में उप अनुच्छेद (II) में-

खंड (बी) "तीन महीने के बाद लेकिन छः महीने से पहले" के सामने उल्लिखित "कोई ब्याज नहीं" शब्दों के लिए "वैयक्तिक जमाकर्ताओं के लिए अधिक से अधिक 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देय होगा एवं अन्य जमाकर्ताओं के वर्ग के मामले में कोई ब्याज देय नहीं होगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

खंड (सी) "छः महीने के बाद लेकिन परिपक्वता तिथि से पहले" के सामने उल्लिखित "दो प्रतिशत" एवं "तीन प्रतिशत" शब्दों के लिए क्रमशः "एक प्रतिशत" एवं "दो प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अर्णव रॉय

कार्यपालक निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 25th August 2014

No. NHB.HFC.DIR.12/CMD/2014—In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely-

Amendment of paragraph 12

In paragraph 12 of the principal Directions, in sub-paragraph (ii),-

In clause (b), for the words “no interest” mentioned against “after three months but before six months”, the words “The maximum interest payable shall be 4 per cent per annum for individual depositor, and no interest in case of other category of depositors.”, shall be substituted.

In clause (c), for the words “two percent” and “three percent” mentioned in the paragraph against “After six months but before the date of maturity”, the words “one percent” and “two percent”, respectively shall be substituted.

ARNAB ROY
Executive Director